भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2832

17 मार्च, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष चिकित्सा पद्धति के डॉक्टर और आधुनिक चिकित्सा पद्धति के डॉक्टर

2832. एडवोकेट ए.एम. आरिफ:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में सेवा और वेतन के मामले में आयुष चिकित्सा पद्धति के डॉक्टरों को आधुनिक चिकित्सा पद्धति के डॉक्टरों के बराबर नहीं माना जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय पर ध्यान दिया है कि आयुष चिकित्सा पद्धति के डॉक्टरों और आधुनिक चिकित्सा पद्धति के डॉक्टरों के बीच भेदभाव नहीं किया जा सकता है और यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) क्या सरकार देश में आयुष चिकित्सा पद्धति के डॉक्टरों और आधुनिक चिकित्सा पद्धति के डॉक्टरों के बीच भेदभाव को खत्म करने के लिए एक व्यापक कानून लाने का इरादा रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आयुष मंत्री (श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) में तैनात आयुष डॉक्टरों के लिए कैडर नियंत्रण प्राधिकरण आयुष मंत्रालय, भारत सरकार है। इन डॉक्टरों को सीजीएचएस में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तैनात आधुनिक चिकित्सा के डॉक्टरों के बराबर वेतन और भत्तों का लाभ मिल रहा है। डायनेमिक एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (डीएसीपी) योजना के तहत, आयुष डॉक्टरों को समयबद्ध पदोन्नति दी जाती है, जो आधुनिक चिकित्सा के डॉक्टरों के बराबर होती है। सरकार ने आधुनिक चिकित्सा के डॉक्टरों के बराबर आयुष चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु भी 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है।

जन स्वास्थ्य राज्य का विषय है। आयुष डॉक्टरों की नियुक्ति और उनके वेतन का निर्धारण संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है।

(ख) जी हाँ, उपरोक्त (क) में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) जी नहीं।

*****